न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 111/2021 बउनवानी गोविन्दराम बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा पुत्र श्री केसरा माली निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा

GCMS No-2021/310

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23.12.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 16.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. दिनांक 15.9.2021 को श्रीमान तहसीलदार महोदय को ग्राम चेनपुरा के ग्रामीणों/नागरिको द्वारा चैनपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 0.26 है0 से संबंधि तमामले को लेकर दिये गये ज्ञापन पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना देवे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः भू.अ./2021/2402 दिनांक 22.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 16.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक भू.अ./2021/2400 दिनांक 22.12.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनंक 16.10.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक 2400 दिनांक 22.12.2021 द्वारा अपीलान्ट को प्रेषित की जा चुकी है। यद्यपि तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु उक्त सूचना अधिनियम की तय समय सीमा के पश्चात उपलब्ध करवायी गयी है। अतः तहसीलदार चौथ का [illegible] जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थन[illegible] प्राथमिकता से अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण कि[illegible] उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किय[illegible] फैसल शुमार होकर[illegible] से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। [illegible]श खुले न्यायालय मे[illegible]या गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:00:58 IST
Reason: SelfAttested